न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

रणवीर बनाम स्टेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या :– 2022/22 (Gcms)

06.01.2022 यह पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 3–4 आरएसएम में वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 10.02.2022 को पेश हो।

10.2.22 पत्रावली पेश। वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी स्टेट की ओर से तहसीलदार घड़साना उपस्थित। प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य के रूप में वादी ने अपने दस्तावेज आधार कार्ड, परिचय पत्र पेश किए। प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया और न ही बहस करनी चाही। वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी ने निवेदन किया कि वादी की कृषि भूमि तहसील घड़साना के चक 1 के.एम. के प.नं. 185/10 मु.नं. 16 के किला नं. 1, 2, 8/1, 9, 10 की 1.202 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रणवीर पुत्र लीलाराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार दर्ज है लेकिन वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम रणवींर पुत्र लीलूराम दर्ज है जो कि साक्ष्य में पेश भी किए हैं। इसलिए उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम रणवीर पुत्र लीलाराम के स्थान पर रणवीर पुत्र लीलूराम किए जाने की घोषणा करते हुए तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु आदेश फरमावें। प्रतिवादी की ओर से कोई एतराज व साक्ष्य पेश नहीं करने एवं बहस नहीं किए जाने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार करते हुए तहसील घड़साना के चक 1 के.एम. के प.नं. 185/10 मु.नं. 16 के किला नं. 1, 2, 8/1, 9, 10 की 1.202 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रणवीर पुत्र लीलाराम के स्थान पर रणवीर पुत्र लीलूराम किए जाने की घोषणा की जाती है एवं तहसीलदार राजस्व घड़साना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करते हुए अमलदरामद करें। पत्रावली इसी की साथ निर्णीत होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना